

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,  
अनु सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/  
नोडल अधिकारी,  
उ०प्र० लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 20 नवम्बर, 2017

विषय :-

एटा कासगंज मार्ग एवं बरेली-मथुरा मार्ग का लोक निर्माण विभाग द्वारा चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण किये जाने हेतु एटा में किमी० 0 से 20 तक 22.80 हे० संरक्षित वनभूमि एवं उस पर अवस्थित 2435 वृक्ष के पातन तथा कासगंज में एटा-कासगंज मार्ग पर किमी० 21 से 24.3 तक तथा बरेली-मथुरा मार्ग किमी० 145 से 161.5 तक 24.008 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं 3234 वृक्षों के पातन विषयक परियोजना में कुल 46.808 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 5669 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या-8बी/यूपी/06/32/2017/एफसी/587 दिनांक 14.11.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण को दिनांक 09.11.2017 को आहूत की गई क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में सम्मिलित किया गया था, जिसमें कतिपय आपत्तियां की गई हैं।

2- विषयगत प्रकरण में भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 14.11.2017 की छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार की अपेक्षा के कम में क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक के उपयोगार्थ अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

  
(मनोज कुमार सिंह)  
अनु सचिव।